संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2019 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2019 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के आधार पर आनलाइन काउन्सिलिंग द्वारा किया जायेगा। **छात्र अपनी लॉगिनआईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल न0(जो काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन में दे) सुरक्षित रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओ0टी0पी0 मोबाइल न0 पर प्रेषित होगी। छात्रो को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशो का स्वयं अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फार्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 250/– की रसीद,सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रू0 3000/– की रसीद व सीट एलाटमेन्ट लेटर, की एक–एक प्रति अपने पास अलग से सुरक्षित रखें।**

काउन्सिलिंग हेतु निम्नवत् प्रक्रियाएं अभ्यर्थी को आनलाइन करनी होगी–

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के समयान्तर्गत रहेंगी। शिड्यूल पोर्टल पर उपलब्ध है।
2. यह आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र व अन्य प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध हो, जाति, EWS आरक्षण प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के लिए) एवं अन्य आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।

अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में निम्न कार्य किये जाने होंगे :–

1. **रजिस्ट्रेशन** – काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह अभ्यर्थी को वेबसाइट http://jeecup.nic.in पर अपने विवरण (रोल नम्बर, फार्म नम्बर, नाम व जन्मतिथि) देने होंगे, जिनके सही पाये जाने पर एक फार्म खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अपने सम्पर्क विवरण आदि तथा नया पासवर्ड अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी को पुनः रोल नम्बर व नये बनाये पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पंजीकरण (Registration) कराना होगा। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के मूल उसके पास उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउन्सिलिंग फीस जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस हेतु रू0 250/– दिये गये विकल्पों यथा– नेट बैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान (आई0सी0आई0सी0आई0 /एस0बी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में) के माध्यम से जमा करना होगा। **प्रत्येक अभ्यर्थी से काउन्सिलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जायेगी।** काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
2. **च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग** – जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन (आई0डी0 व पासवर्ड) की सहायता से कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को अपने वरीयताक्रम में शामिल करेगा। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं होगी। विकल्प चयन कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। लॉक करने के उपरान्त कोई भी विकल्प उस चरण के लिए बदले नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थी को अपने विकल्पों के चयन की प्राथमिकता को बदलने का अवसर होगा। द्वितीय एवं तृतीय चरणों में जिन अभ्यर्थियों को कोई आवंटन पूर्व में प्राप्त है, यदि वे विकल्पों को बदलते हैं तो उन्हें वर्तमान आवंटित संस्था के विकल्प को भी अपने विकल्प श्रेणी में रखना होगा।
3. **आवंटन** : प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई0डी0 पर उसका आवंटन दिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसको निर्धारित तिथियों के अन्दर रू0 3000/– की Seat Acceptance Fee जमा करना सुनिश्चित करना होगा Seat Acceptance Fee को दिये गये विकल्पों यथा– नेट बैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान (आई0सी0आई0सी0आई0 /एस0बी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में) के माध्यम से जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उसका अभ्यर्थन उस चरण की काउन्सिलिंग में समाप्त कर दिया जायेगा। **प्रत्येक अभ्यर्थी को Seat Acceptance Fee समस्त चरणों हेतु एक ही बार जमा करनी होगी।**

क्रमशः पृष्ठ सं0–2

Seat Acceptance Fee रू0 3000/– जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन से **PROVISIONAL SEAT ALLOTMENT LETTER** डाउनलोड करके प्रिन्ट प्राप्त कर लें। Seat Acceptance Fee रू0 3000/– को अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से आवंटित संस्था की फीस में समायोजित किया जायेगा। Float का विकल्प देने वाले अभ्यर्थी का आवंटन अगले चरणों में, विकल्प सूची में उसको प्राप्त आवंटन से उपर के विकल्पों में से ही किया जायेगा। प्रत्येक चरण के आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी लॉगिन से अपनी आवंटित संस्था देख लें।

4. **डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन** : अभ्यर्थी का डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन उसको पहली बार आवंटित संस्था में कराना होगा। अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य प्रमाण–पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) की मूल प्रति, समस्त प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति (दो सेट) व छः फोटोग्राफ लाने होंगे। आवंटित संस्था द्वारा समस्त प्रमाण–पत्रों की जाँच की जायेगी तथा उनके सही पाये जाने पर काउन्सिलिंग वेबसाइट पर आनलाइन अपडेट किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन नहीं कराया जाता है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन उस चरण हेतु निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग में पुनः निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर के अगले चरण में भाग ले सकेगें।

यदि अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के निर्णय, नियमों के अनुसार संस्था द्वारा लिये जायेंगे।

1. कमी यदि इस तरह की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा– अकादमिक योग्यता, आयु (01.07.2019 को न्यूनतम 14 वर्ष), Domicile आदि तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
2. कमी यदि इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी के आवंटन पर प्रभाव पड़ता है लेकिन वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह रह जाता है तो अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त करते हुए उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

5. **सम्मति (Willingness) :** डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय अभ्यर्थी को Freeze व Float का विकल्प देना होगा। आवंटित संस्था में Freeze व Float का विकल्प, विकल्प पत्र द्वारा देना होगा।

(1) **FREEZE** – इस विकल्प में अभ्यर्थी को दी गई सीट अन्तिम मानी जायेगी तथा आवंटित संस्था में अभ्यर्थी शीघ्र ही पूर्ण शुल्क तथा अन्य अभिलेख जमा कर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

(2) **FLOAT** – इस विकल्प में अभ्यर्थी को अपग्रेड करने का विकल्प रहेगा तथा वह अगले चरणों की काउन्सिलिंग के लिए अर्ह रहेगा। अभ्यर्थी को आवंटित सीट उसको तब तक आवंटित रहेगी जब तक विकल्पों के वरीयताक्रम में आवंटित सीट से ऊपर की सीट उसको न मिल जाय। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी। **तृतीय/अन्तिम चरण की समाप्ति के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों का विकल्प Freeze माना जायेगा व उन्हें अपनी अन्तिम आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 24/07/2019 के पूर्व प्रवेश हेतु जाना होगा।**

6. **आवंटित संस्था में प्रवेश** – यदि अभ्यर्थी के समस्त अभिलेख सही पाये जाते हैं और उसने Freeze का विकल्प दिया है तो आवंटित संस्था के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस जमा की जायेगी। Float का विकल्प देने वाले अभ्यर्थी को उनके अपने विकल्प को Freeze करने पर प्रवेश के लिए अन्तिम आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया व फीस जमा करने के लिए जाना होगा।

अन्तिम चरण तक आवंटन पाये हुए सभी अभ्यर्थियों को अपनी अन्तिम आवंटित संस्था में काउन्सिलिंग शिड्यूल की अन्तिम तिथि **24/07/2019** के पूर्व प्रवेश के लिए जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी व फीस जमा करनी होगी। जो अभ्यर्थी यह नहीं करेंगे उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

यह आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जायेगी।

1. **पहला चरण** – इस चरण में सभी अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं तथा सभी सीटें अपने उर्ध्वाधर (OPEN, GEN-EWS, OBC, SC, ST) व क्षैतिज (GIRL, MP, FF, PH) आरक्षण के अन्तर्गत रहेंगी।
2. **दूसरा चरण** – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :–

   (1) प्रथम चरण में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।

   (2) प्रथम चरण के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने विकल्पों में परिवर्तन के साथ आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे।

क्रमशः पृष्ठ सं0–3

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने **Float** का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन्हें वर्तमान आवंटित संस्था को अपने विकल्पों की वरीयता सूची में रखना होगा। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में आवंटन प्राप्त हुआ था लेकिन प्रमाण–पत्रों की कमी की वजह से उनकी सीट निरस्त हो गई थी, किन्तु नये वर्ग के साथ वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह हैं।

इस चरण में क्षैतिज आरक्षण की सीटों को उर्ध्वाधर वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा। दूसरे चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट से संतुष्ट है तो वह अपने लॉगिन आई0डी0 से Freeze का विकल्प चुनकर **PROVISIONAL SEAT ALLOTMENT LETTER** डाउनलोड करके प्रिन्ट प्राप्त कर लें। और आवंटित संस्था में जाकर शीघ्र ही प्रवेश लें लें। FLOAT करने वाले अभ्यर्थी तब तक FLOAT रहेगें जब तक अपने **सम्मति (Willingness)** को Freeze न कर ले।

3. **तीसरा चरण** – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :–

(1) पिछले चरणों में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।

(2) पिछले चरणों के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने विकल्पों में परिवर्तन के साथ आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने **Float** का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन्हें वर्तमान आवंटित संस्था को अपने विकल्पों की वरीयता सूची में रखना होगा। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में आवंटन प्राप्त हुआ था लेकिन प्रमाण–पत्रों की कमी की वजह से उनकी सीट निरस्त हो गई थी, किन्तु नये वर्ग के साथ वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह हैं।

इस चरण में उर्ध्वाधर वर्ग की सभी सीटों को OPEN वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा। **तृतीय चरण अन्तिम चरण है जिसके उपरान्त सभी अभ्यर्थियों का विकल्प Freeze माना जायेगा व उन्हें अपनी अन्तिम आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 24/07/2019 के पूर्व प्रवेश हेतु जाना होगा।**

विशेष नोटः–

1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसी एक राजकीय/अनुदानित संस्था को काउन्सिलिंग सहायता केन्द्र(HELP CENTER) अभ्यर्थियों की सहायता के लिए बनाया जा रहा है। जिन आवंटित छात्र/छात्राओं को उनके आवंटित संस्था में यदि डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन, प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आवंटित संस्था के जनपद के सहायता केन्द्र पर पहुंचकर, लिखित शिकायत दर्ज कराकर डाकूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते है। सहायता केन्द्रों की जनपद वार सूची पोर्टल पर अलग से उपलब्ध है।
2. काउन्सिलिंग से सम्बन्धित किसी भी तरह की समस्या होने पर अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड व प्रार्थना–पत्र (मोबाइल नम्बर और पता अंकित कर) स्कैन कर jeecuphelp@gmail.com पर भेजें।

(एस0के0 वैश्य) 22/06/19.
सचिव

(संतोष कुमार वैश्य)
सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ